वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता मुख्य महा प्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र, रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल में संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक पी–1286 में 8.960 हे. तथा राजस्व वन 229.413 हे; कुल 238.373 हे. वन भूमि की मांग कोयला उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देश अनुसार निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है –

i) खदान के कर्मचारियों एवं मजदूरों हेतु पाईप के माध्यम से गैस सप्लाई की जाये ताकि जलाऊ हेतु वनों पर दबाव न पड़े।

ii) इस खदान में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाये ताकि अस्थाई निर्माण हेतु वनों पर दबाव न पड़े।

iii) सेफ्टी जोन क्षेत्र में 6 फीट ऊंची रिकायल बारबेड वायर फैसिंग की जानी होगी जिससे वन क्षेत्र की सुरक्षा हो सके।

iv) वन्य प्राणी हाथी के प्रबंधन हेतु उपयुक्त वन्य प्राणी संरक्षण येाजना तैयार की जाए जिसके प्रावधानो का क्रियान्वयन आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाए।

v) प्रस्तावित वन क्षेत्र में वन क्षेत्र से समीपस्थ जिन ग्रामीणो द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं अन्य लघु वनोपज नियमित रूप से एकत्रित कर आय प्राप्त की जाती है, उन्हें उपयुक्त क्षतिपूर्ति आवेदक संस्थान के व्यय पर प्रदान की जावे।

vi) A solid barrier of not less than 60 m shall be left un-extracted against the Kurket river, and a green belt of atleast 60 m wide shall be kept and maintained as safety zone along the bank of river, at proponent's cost.

vii) Embankment, at least 3.0 m wide at the top and at least 3.0 m higher than the HFL, with side sloping not exceeding 45^0 from the horizontal shall be provided and kept maintained against Kurket river. The side of the embankment facing the Kurket river shall be pitched with stone, bricks etc.

दिनांक: 19/09/2018
स्थान: रायपुर

(आर. के. सिंह)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़